

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.) योजना शाखा (आवास, दुकान, गुमटी विभाग)

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान/चबुतरा हेतु पात्रता/नियम शर्तें:-

18 से 40 वर्ष आयु के युवक, युवतियां जिनके पास रोजगार का कोई साधन न हो, जिनके पालक की आय 1.00 लाख रु. प्रतिवर्ष से कम हो, उन्हे किरोयदारी पर नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्थित 80 वर्ग फीट की दुकानें आबंटित की जाती हैं। इस योजना में चबूतरों का आकार 6x6 वर्गफीट का है। निर्धारित आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज:-

1. आय प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. निवास प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. विकलांगता प्रमाण पत्र (दृष्टिहीन को प्राथमिकता)
6. शिक्षित बेरोजगार कोटे में आवेदन हेतु रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
7. विभिन्न संवर्गों हेतु संबंधित प्रमाण पत्र।

उक्त योजना में निगम भिलाई द्वारा विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् निर्धारित अवधि व प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है।

लाभ:-

शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों को स्वरोजगार हेतु अमानत राशि एवं किराये पर दुकान उपलब्ध कराया जाना।

महिला समृद्धि बाजार योजना हेतु पात्रता एवं नियम शर्तें:-

महिला समृद्धि बाजार योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलायें एवं युवतियां जिनके अभिभावक/पालक की वार्षिक आय रु. 1.00 से अधिक न हो, उन्हे किरायेदारी पर दुकाने आबंटित की जाती है। नियम एवं शर्तें मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान की भांति है।

उक्त योजना में भी निगम भिलाई द्वारा विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् निर्धारित अवधि व प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है।

लाभ:-

नगरीय निकायों के बेरोजगार महिलाओं एवं युवतियों को स्वरोजगार हेतु अमानत राशि एवं किराये पर दुकान उपलब्ध कराया जाना।